अनवान– ईसराराम बनाम भीखीदेवी वगैरा
राजस्व आवेदन सं. 240/2024

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन संख्या–240/2024

पीठासीन अधिकारी– बद्रीनारायण, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थी–

1. ईसराराम गोदपुत्र माता भीखीदेवी पिता दानाराम जाति जाट निवासी पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण–

1. भीखीदेवी पत्नी दानाराम 2. जमना पुत्री दानाराम 3. केसाराम पुत्र चुतराराम 4. थानाराम पुत्र चुतराराम 5. अनु पत्नी मगाराम 6. नोजीदेवी पुत्री मगाराम 7. सुगणी पत्नी मगाराम जातियान जाट निवासीगण पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
8. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई शाखा वेड़िया
9. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा साता तहसील सेड़वा
10. तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण– प्रार्थी वकील– श्री हासम खान
विप्रार्थी संख्या 1. के वकील– श्री बाबूलाल विश्नोई
विप्रार्थी संख्या 2. के वकील– श्री मिठु खान समेजा
विप्रार्थी संख्या 4 से 7 के वकील–श्री पवन धारीवाल

सहायक कलक्टर सेड़वा

## –:: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "सरहद मौजा पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा में प्रार्थी की पुश्तैनी(पैतृक) खेत खेत खसरा नंबर 585/333 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699/411 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 919/696 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नंबर 920/696 रकबा 2.7762 हैक्टेयर, खसरा नंबर 762/550 रकबा 3.7959 हैक्टेयर, खसरा नंबर 756/374 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 586/333 रकबा 3.4398 हैक्टेयर के आए हुए हैं, जिसमें खसरा नंबर [illegible]/333 रकबा 0.3237 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:37 IST
Reason: SelfAttested



सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

खसरा नंबर 699/411 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 919/696 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नंबर 920/696 रकबा 2.7762 हैक्टेयर, खसरा संख्या 586/333 रकबा 3.4398 हैक्टेयर भूमि में वादी के अपने माता भीखीदेवी का हिस्सा 1/3 में वादी का 1/3 हिस्सा व खसरा नंबर 762/550 रकबा 3.7959 हैक्टेयर, खसरा नंबर 766/374 रकबा 3.7637 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के अपने पिता के हिस्से में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी प्रार्थीगण का स्थित है। वादग्रस्ता आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है। जिसमें प्रार्थी का जन्मसिद्ध हक हकूक व अधिकार है। प्रार्थी का मौके पर पुश्तैनी कब्जाकाश्त उपयोग उपभोग आया हुआ है। मौके पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत वंटवाड़ा भी नहीं हुआ है, संयुक्त आराजी है, जिसमें प्रार्थी का कण–कण में पुश्तैनी, हक हिस्सा मौजुद है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित होने से प्रार्थी का अपने माता भीखीदेवी की भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा नोश्नल शेयर का आया हुआ है। उक्त हिस्से का अधिकार प्रार्थी का जन्मसिद्ध है। प्रार्थी के माता अप्रार्थी संख्या 1 भीखीदेवी अत्यंत वृद्ध अवस्था की महिला है, जिनका विवेक डगमगाया हुआ है, जिसके सोचने–समझने की शक्ति नहीं रही है तथा दवाई लम्बे समय से चली रही है, जिनके याददाश्त भी निम्न स्तर पर है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 भीखीदेवी को बहला फुसलाकर प्रार्थी को पुश्तैनी हको से वंचित करने व भूमिहीन की श्रेणी में खड़े करने के आशय से वादग्रस्त प्रार्थी की पुश्तैनी हिस्से का बेचान कर दिया है तथा आगे से आगे बेचान करना चाहते हैं, प्रार्थी का अपने पिता के हिस्से में 1/3 हिस्सा पुश्तैनी, कब्जाकाश्त, जन्मसिद्ध हक हकूक का होने से उक्त हिस्से की खातेदारी घोषणा प्रार्थी पाने का हकदार है।''

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश करने पर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 240/2024 दिनांक 12.08.2024 मौजा पनोरिया पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा में खेत खसरा नंबर 585/333 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699/411 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 919/696 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नंबर 920/696 रकबा 2.7762 हैक्टेयर, खसरा नंबर 762/550 रकबा 3.7959 हैक्टेयर, खसरा नंबर 766/374 रकबा 3.7637 हैक्टेयर, खसरा नंबर 586/333 रकबा 3.4398 हैक्टेयर भूमि में विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत आदि नहीं करने एवं प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करने, प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करने तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किया कि ''ग्राम पनोरिया के खसरा नम्बर 762/550 रकबा 3.7959

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:37 IST
Reason: SelfAttested



सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

अनवान– ईसराराम बनाम भीखीदेवी वगैरा
**राजस्व आवेदन सं. 240/2024**

हैक्टेयर, खसरा नंबर 766/374 रकबा 3.7636 हैक्टेयर भूमि मेरे पति दानाराम की पुश्तैनी आई हुई थी, दानाराम के फौत होने पर गलत तरीके से उक्त भूमि प्रार्थी ने उक्त भूमि में हिस्से से ज्यादा अपने नाम करवा ली तथा मेरी पुत्री जमना को पुश्तैनी जमीन से वंचित कर दिया। ग्राम पनोरिया के खसरा नंबर 585/333 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699/411 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 919/696 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नंबर 920/696 रकबा 2.7762 हैक्टेयर, खसरा नंबर 586/333 रकबा 3.4398 हैक्टेयर भूमि मेरे पिता देवाराम ने मेरे का दान/स्त्रीधन के रूप में दी थी, जिससे उक्त भूमि मेरी स्वअर्जित भूमि आई हुई थी, उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक–हकूक नहीं है। मुझे मेरी स्वअर्जित भूमि को बेचान/दान करने का पूर्ण अधिकार होने से मैंने मेरी पुत्री जमना को सही एवं विधिवत रूप से दिनांक 02.08.2024 को एक पंजीयन दस्तावेज के जरिए दान की गई तथा कब्जा भी सुपूर्द कर दिया गया। जिसमें प्रार्थी का कोई हक हकूक, अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी मुझ भीखीदेवी की स्वअर्जित भूमि थी, मुझे मेरी स्वअर्जित भूमि को बेचान/दान करने का अधिकारी होने से मैंने उक्त भूमि पर कब्जा भी जमना को करवा दिया है, प्रार्थी का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है तथा न ही वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी ईसराराम की ढाणी वगैरा नहीं है, प्रार्थी ने झुठे एवं मनगढंत कथन किए है। प्रार्थी मुझ भीखीदेवी का जाईन्दा वारिस नहीं है, प्रार्थी चम्पादेवी का जाईन्दा पुत्र है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि को गलत हड़पने के लिए गलत वंशावली बताई है, मेरे पति की पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी का नाम दर्ज हैं, लेकिन मुझ भीखीदेवी की स्वअर्जित सम्पति में प्रार्थी का कोई हक हकूक नहीं बनता है, प्राथ्री ने गलत सजरा व गलत कथन को लेकर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण संख्या 1520 व 1521 को रूकवाने के लिए मनगढंत कथनों को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। भीखीदेवी प्रार्थी इसराराम की माता नहीं है, प्रार्थी की माता का नाम चम्पादेवी है तथा पिता का नाम चतराराम है, प्रार्थी ने गलत कथन किए है। मेरा विवेक तथा यादाश्त सही है, मेरी स्वस्थ हालात है तथा मुझ भीखीदेवी ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर राजी–खुशी व होश हवास में रहकर तहसीलदार के समक्ष बयान कर मेरी पुत्री जमना को उक्त भूमि दान की है जो सही व विधिवत रूप से पंजीयन दस्तावेज के जरिए दी गई है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी जमना को करवा दिया गया है। मेरी स्वअर्जित भूमि, मेरे पिता द्वारा दान/स्त्रीधन के रूप में दी गई भूमि/सम्पति में प्रार्थी को कोई हक हकूक नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी ने ऐलानियां धमकियां देने तथा आगे भूमि बेचान करने का कथन गलत व निराधार, मनगढंत कथन किए है, मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त ही नहीं है तो बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जिससे प्रार्थी के कथन निराधार होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि नहीं है, उक्त भूमि मेरे पिता द्वारा मुझे दान/स्त्रीधन में दी हुई स्वअर्जित भूमि है, उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हकूक नहीं बनता है तथा प्रार्थी ईसराराम मेरा पुत्र नहीं है, प्रार्थी की माता का नाम चम्पादेवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सेड़वा

(SDO) सेड़वा

है, जिससे प्रार्थी ने जन्म सिद्ध हक का कथन निराधार है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न ही कब्जा है, तो कब्जे से बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, जिससे प्रार्थी के कथन मनगढंत, निराधार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पनोरिया के खसरा नंबर 585/333 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699/411 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 919/696 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नंबर 920/696 रकबा 2.7762 हैक्टेयर, खसरा नंबर 762/550 रकबा 3.7959 हैक्टेयर, खसरा नंबर 766/374 रकबा 3.7637 हैक्टेयर, खसरा नंबर 586/333 रकबा 3.4398 हैक्टेयर भूमि मुझ भीखीदेवी की स्वअर्जित भूमि है। स्वअर्जित भूमि को बेचान–दान करने का मुझे कानूनी पूर्ण अधिकारी होने से मैंने दिनांक 02.08.2024 को सही एवं विधिवत रूप से तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बयान कर अपने हिस्से की भूमि को मेरी पुत्री जमना को विधिवत रूप से भूमि दान की तथा मौके पर कब्जा सुपूर्द कर दिया गया। पंजीयन के जरिए मेरी पुत्री अपने पक्ष में नामान्तरकरण करवाने की कानूनी अधिकारी है। जिससे उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हकूक, कब्जा नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पनोरिया के खसरा नंबर 585/333 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699/411 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 919/696 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नंबर 920/696 रकबा 2.7762 हैक्टेयर, खसरा नंबर 762/550 रकबा 3.7959 हैक्टेयर, खसरा नंबर 766/374 रकबा 3.7637 हैक्टेयर, खसरा नंबर 586/333 रकबा 3.4398 हैक्टेयर भूमि मेरे पिता देवाराम ने मेरेको दान/स्त्रीधन के रूप में दी थी, जिससे उक्त भूमि मेरी स्वअर्जित भूमि आई हुई थी, उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हकूक नहीं बनता है। अतः प्रार्थी इस आराजी में किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जिसके अभाव में वह विधिवत पंजीयन दस्तावेज व कब्जाकाश्त की भूमि में हम प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रार्थी हमेशा के लिए आउट ऑफ पजेशन रहा है जिससे कब्जे के अभाव में तथा स्वअर्जित भूमि के विरूद्ध प्रार्थी किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं होने से दावा व टी.आई. खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हकूक नहीं है और न ही मौके पर कोई कब्जा काश्त है, वादग्रस्त भूमि मुझ अप्रार्थी की विधिवत पंजीयन दस्तावेज व कब्जा काश्त की है। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध है, मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के विरूद्ध मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है। यदि मुझ अप्रार्थी की विधिवत पंजीयन दस्तावेज व कब्जा काश्त भूमि से उपयोग–उपभोग व नामान्तरकरण से रोका जाता है तो मुझ अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं। इस प्रकार तीनों विन्दु प्रार्थी के विरूद्ध एवं मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध कब्जे के अभाव में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का प्रार्थी हकदार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन, निराधार, मिथ्या व अप्रार्थी को तंग–परेशान करने के लिए मेरी भूमि को [illegible] करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसे खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर
सेड़वा

अनवान– ईसराराम बनाम भीखीदेवी वगैरा
**राजस्व आवेदन सं. 240/2024**

विप्रार्थी संख्या 02 के वकील ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का जवाब प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत किया गया कि "ग्राम पनोरिया के खसरा नम्बर 762/550 रकबा 3.7959 हैक्टेयर, खसरा नंबर 766/374 रकबा 3.7636 हैक्टेयर भूमि मेरे पति दानाराम की पुश्तैनी आई हुई थी, दानाराम के फौत होने पर गलत तरीके से उक्त भूमि प्रार्थी ने उक्त भूमि में हिस्से से ज्यादा अपने नाम करवा ली तथा मेरी पुत्री जमना को पुश्तैनी जमीन से वंचित कर दिया। ग्राम पनोरिया के खसरा नंबर 585/333 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699/411 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 919/696 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नंबर 920/696 रकबा 2.7762 हैक्टेयर, खसरा नंबर 586/333 रकबा 3.4398 हैक्टेयर भूमि मेरी माता भीखीदेवी पुत्री देवाराम के नाम से स्वअर्जित भूमि आई हुई है। उक्त भूमि मेरी माता को मेरे नाना देवाराम से दान/स्त्रीधन के रूप में मिली थी, जिससे उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक–हकूक नहीं है। मेरी माता को अपनी स्वअर्जित भूमि को बेचान/दान करने का पूर्ण अधिकार होने से सही एवं विधिवत रूप से दिनांक 02.08.2024 को एक पंजीयन दस्तावेज के जरिए मुझे दान की गई तथा कब्जा भी सुपूर्द कर दिया गया। जिसमें प्रार्थी का कोई हक हकूक, अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त आराजी मेरी माता भीखीदेवी की स्वअर्जित भूमि थी, मेरी माता को स्वअर्जित भूमि को बेचान/दान करने का अधिकार होने से मेरी माता ने उक्त भूमि पर कब्जा मेरे को करवा दिया है, प्रार्थी का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है तथा न ही वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी ईसराराम की ढाणी वगैरा नहीं है, प्रार्थी ने झुठे एवं मनगढंत कथन किए है। प्रार्थी भीखीदेवी का जाईन्दा वारिस नहीं है, प्रार्थी चम्पादेवी का जाईन्दा पुत्र है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि को गलत हड़पने के लिए गलत वंशावली बताई है, मेरे पति की पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी का नाम दर्ज हैं, लेकिन भीखीदेवी की स्वअर्जित सम्पति में प्रार्थी का कोई हक हकूक नहीं बनता है, प्रार्थी ने गलत सजरा व गलत कथन को लेकर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण संख्या 1520 व 1521 को रूकवाने के लिए मनगढंत कथनों को लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। भीखीदेवी प्रार्थी इसराराम की माता नहीं है, प्रार्थी ने गलत कथन किए है, भीखीदेवी का विवेक तथा याददाश्त सही है, भीखीदेवी ने कभी दवाई नहीं ली है, वह स्वस्थ है। भीखीदेवी ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर राजी–खुशी व होश हवास में रहकर तहसीलदार के समक्ष बयान कर मुझे उक्त भूमि दान की है जो सही व विधिवत रूप से पंजीयन दस्तावेज के जरिए दी गई है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मेरे को करवा दिया गया है। भीखी देवी की स्वअर्जित भूमि में प्रार्थी को कोई हक हकूक नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी ने ऐलानियां धमकियां देने तथा आगे भूमि बेचान करने का कथन गलत व निराधार, मनगढंत कथन किए है, मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त ही नहीं है तो बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जिससे प्रार्थी के कथन निराधार होने से प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

खारिज योग्य है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि नहीं है, उक्त भूमि भीखीदेवी को उनके पिता ने दान/स्त्रीधन में दी हुई स्वअर्जित भूमि है, स्वअर्जित भूमि में प्रार्थी का कोई हक हकूक नहीं बनता है तथा प्रार्थी ईसराराम की भीखी देवी माता ही नहीं है तो जन्म सिद्ध हक का कथन निराधार है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न ही कब्जा है, तो कब्जे से बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, जिससे प्रार्थी के कथन मनगढंत, निराधार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पनोरिया के खसरा नंबर 585/333 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699/411 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 919/696 रकबा 2.9137 हैक्टेयर, खसरा नंबर 920/696 रकबा 2.7762 हैक्टेयर, खसरा नंबर 762/550 रकबा 3.7959 हैक्टेयर, खसरा नंबर 766/374 रकबा 3.7637 हैक्टेयर, खसरा नंबर 586/333 रकबा 3.4398 हैक्टेयर भूमि मेरी माता भीखीदेवी की स्वअर्जित भूमि है। स्वअर्जित भूमि को बेचान–दान करने का भीखीदेवी को कानूनी पूर्ण अधिकार होने से भीखीदेवी ने दिनांक 02.08.2024 को सही एवं विधिवत रूप से तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बयान कर अपने हिस्से की भूमि को मेरे को विधिवत रूप से भूमि दान की तथा मौके पर कब्जा सुपूर्द कर दिया गया। पंजीयन के जरिए मुझे मेरे पक्ष में नामान्तरकरण करवाने की कानूनी अधिकार है। जिससे उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हकूक, कब्जा नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि भीखीदेवी की अपने पिता से स्त्रीधन में मिली हुई, स्वअर्जित भूमि है, जिसमें प्रार्थी का कोई हक हकूक नहीं बनता है। अतः प्रार्थी इस आराजी में किसी भी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जिसके अभाव में वह विधिवत पंजीयन दस्तावेज व कब्जाकाश्त की भूमि में हम प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रार्थी हमेशा के लिए आउट ऑफ पजेशन रहा है जिससे कब्जे के अभाव में तथा स्वअर्जित भूमि का दान पंजीयन दस्तावेज मेरे पक्ष में होने से मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं होने से दावा व टी.आई. खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हकूक नहीं है और न ही मौके पर कोई कब्जा काश्त है, वादग्रस्त भूमि मुझ अप्रार्थी की विधिवत पंजीयन दस्तावेज व कब्जा काश्त की है। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध है, मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के विरूद्ध मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है। यदि मुझ अप्रार्थी की विधिवत पंजीयन दस्तावेज व कब्जा काश्त भूमि से उपयोग–उपभोग व नामान्तरकरण से रोका जाता है तो मुझ अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं। इस प्रकार तीनों बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध एवं मुझ अप्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध कब्जे के अभाव में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का प्रार्थी हकदार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन, निराधार, मिथ्या व अप्रार्थी को तंग–परेशान करने के लिए मेरी भूमि को हड़प करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज फरमावें।

सहायक कलक्टर सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

अनवान– ईसराराम बनाम भीखीदेवी वगैरा
**राजस्व आवेदन सं. 240/2024**

विप्रार्थी संख्या 03 से 07 के वकील ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का जवाब प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 03 से 07 की ओर से प्रस्तुत किया गया कि "वादग्रस्त आराजी मौजा पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 585/333, 699/411, 696/411 (नए खसरा संख्या 919/696, 920/696), 586/333 की आराजी विप्रार्थीया संख्या 1 को अपने पिता देवाराम पुत्र जेठाराम से विरासत में प्राप्त हुई थी। जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगण 01 से 03 प्रत्येक तक उक्त आराजी में 1/9–1/9 हिस्सा बनता है तथा वादग्रस्त आराजी मौजा पनोरिया के खेत खसरा नंबर 762/550, 766/374 में प्रार्थी के गोदपिता दानाराम के हिस्सा में 1/3 हिस्सा बनता है। उक्त हिस्सा प्रार्थीनी का पुश्तैनी अधिकारों से प्राप्त हिस्सा है। विप्रार्थीनी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी मौजा पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 585/333, 699/411, 696/411 (नए खसरा संख्या 919/696, 920/696), 586/333 में अपने 1/9 हिस्से से अधिक हिस्सा का किया गया दान प्रार्थी के हिस्से के प्रति शून्य होने से उक्त दानपत्र शून्य घोषित करने योग्य है। विप्रार्थीनी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थी को मौके से बेदखल करने की धमकियां दी गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा। अतः विप्रार्थी संख्या 03 से 07 की ओर से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी मौजा पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 585/333, 699/411, 696/411 (नए खसरा संख्या 919/696, 920/696), 586/333, 762/550 व 766/374 में अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध मौके व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक बनाए रखने का आदेश जारी करावें।

प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाब प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब का जवाब प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया कि "वादग्रस्त आराजी वादी के दादा जैसाराम केनाम से थी जबकि जैसाराम की मृत्यु से उनके बच्चे, दानाराम, चुतराराम पहले फौत हो गए थे। जैसाराम फौत होने के बाद सीधा ही दानाराम के वारिस व चुतराराम के वारिसों का नामांतरकरण हुआ व उसके बाद विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 22.11.2021 को विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा वादी ईसराराम को हकतर्कनामा के जरिए दी गई जो तहसील कार्यालय से पंजीयन कर दी गई है। विप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में सरासर गलत कथन किए है तथा बताया है कि मेरी माता भीखी देवी को मेरे पिता देवाराम द्वारा दान दी गई है, जबकि भीखीदेवी विप्रार्थी संख्या 01 केनाम भूमि का नामान्तरकरण हुआ है, जो दिनांक 05.10.2019 को स्वीकृत हुआ, जिसकी नामान्तरकरण नकल संलग्न है। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वादी को हकतर्कनामा से दी गई भूमि की नामांतरकरण नकल संलग्न है। वादी द्वारा अपनी भूमि पर कब्जा काश्त कई वर्षों से है। वह भीखीदेवी विप्रार्थी संख्या 01 स्वयं द्वारा ही गोदनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

लिखवाया गया है। वह कार्यालय तहसील में पंजीयन करवाया गया है। भीखी देवी स्वयं द्वारा वादी का गोदनामा तहसील कार्यालय से पंजीयन करवाया है तथा उसमें सशर्तें लिखवाया है कि मेरी सभी सम्पति पर आपका अधिकार होगा। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पूर्व में अपने पिता के हिस्से की भूमि को मुझ वादी के जरिए हकतर्कनामा दे दी गई है, जबकि जवाब में गलत तरीके से कथन किए गए है, जबकि मुझे हकतर्कनामा व मुझे दानाराम की सम्पति की भूमि में कई वर्षों से काश्त काबिज हूं व कृषि कनेक्शन भी है। वादग्रस्त आराजी भीखीदेवी को दान से नहीं मिली है, जबकि भीखीदेवी का पिताजी देवाराम फौत होने के बाद फौतगी म्यूटेशन हुआ है। दिनांक 05.10.2009 को पंचायत पनोरिया में स्वीकृत किया गया है, जबकि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पुरी तरीके से अपने गलत कथन दर्ज किए है। भीखीदेवी ईसराराम की गोद माता है। भीखीदेवी स्वयं ने गोदनामा पंजीयन कार्यालय में पंजीयन करवाया है। भीखीदेवी द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह, जॉबकार्ड, सभी में भीखी वादी संख्या 01 इसराराम के साथ में रहना प्रदर्शित करती है, जो सभी कागजात उक्त पत्रावली के साथ संलग्न है। भीखीदेवी अपने हिस्से से ज्यादा बेचान किया गया है। वादी का वर्षों से कब्जा काश्त चलता आ रहा है। वादी का वर्षों से कब्जा काश्त रहा है, वह हकदार भी है। भीखीदेवी स्वयं द्वारा गोदनामा करवाया है। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा भी वादी को हकतर्कनामा से 22.11.2021 को भूमि दी गई है। जिस पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। इसलिए विप्रार्थी द्वारा पेश जवाब मनगढंत, निराधार है। सभी तरीके से गलत कथन दर्ज करवाए है। सभी तरह से न्यायालय को अंधेरे में रखा गया है। अतः निवेदन है कि उक्त जवाब गलत तरीके से व न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए, मिथ्या, निराधार व गलत पेश किया गया है, इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को कन्फर्म किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध संबद्ध तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों का न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त अवलोकन किया गया। जिस पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः हस्तगत प्रकरण संख्या 240/2024 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विप्रार्थी संख्या 01 से 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब को न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारणोपरांत स्वीकार किया जाता है तथा उक्त विवेच्य तथ्यों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

अनवान– ईसराराम बनाम भीखीदेवी वगैरा
राजस्व आवेदन सं. 240 / 2024

संख्या 240 / 2024 में दिनांक 12.08.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत जारी मौके एवं रेकर्ड के स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सेड़वा

08.01.2025
(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:37 IST
Reason: SelfAttested